इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 जून 2015—ज्येष्ठ 15, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जून 2015

क्र. बी-4-7-2015-2-पांच(11).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2015 से दिनांक 30 सितम्बर 2015 तक की अवधि के दौरान जारी की गई बीमा पॉलिसियों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क निम्नलिखित शर्तों पर समेकित किया जा सकेगा तथा उसका भुगतान मध्यप्रदेश के किसी भी सरकारी खजाने में किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(1) बीमा की प्रत्येक पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा यह उपदर्शित किया जायेगा कि उस पर देय स्टाम्प शुल्क का उपरोक्त रीति से भुगतान कर दिया गया है. ऐसे पृष्ठांकन केवल इस आदेश के अधीन देय समेकित स्टाम्प शुल्क की रकम की सीमा तक किया जा सकेगा.

(2) मध्यप्रदेश के किसी भी सरकारी खजाने में जमा की गई समेकित रकम रुपये 70.00 लाख (रुपये सत्तर लाख केवल) के भुगतान के चालान की एक प्रति उप महानिरीक्षक, पंजीयन के आंचलिक कार्यालय, भोपाल में प्रस्तुत की जाएगी.

(3) उस अवधि के, जिसके कि लिए शुल्क का समेकन किया गया है, समाप्त होने के तत्काल पश्चात्, बीमित रकम की पॉलिसी संख्या तथा पॉलिसियों पर भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की सही रकम समाविष्ट करने वाला विवरण प्रत्येक तिमाही के अन्त में उप महानिरीक्षक, पंजीयन आंचलिक कार्यालय, भोपाल में प्रस्तुत किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जून 2015

क्र. एफ बी-4-07-2015-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक क्र. एफ बी-4-07-2014-2-पांच (11), दिनांक 5 जून 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 5th June 2015

No. F-B-4-07-2015-2-V(11).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), the State Government, hereby derects that the stamp duty chargeable under the said Act on insurance policies issued by the Life Insurance Corporation of India during the period from 1st April 2015 to 30th September 2015 may be consolidated and paid into any Government Treasury of Madhya Pradesh on the following conditions, namely :—

(1) It shall be indicated by an endorsement on each policy of insurance that the stamp duty payable thereon has been paid in the aforesaid manner. Such endorsement would be made only to the extent of consolidated stamp duty amount paid under this order.

(2) A copy of the Challan of payment of consolidated amount of Rs. 70.00 Lakhs (Rupees Seventy Lakhs) only, in any Government Treasury of Madhya Pradesh shall be submitted to the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration, Bhopal.

(3) Immediately after the end of the period for which consolidation of duty has been made, the statement consisting of the policies numbers of sum insured and the exact amount of stamp duty paid on the policies at the end of every quarter shall be submitted to the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration, Bhopal.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.